

N.O.W/O

प्रेषक,

उपायुक्त, गुरुग्राम।

सेवा में

M/s Galaxy Magnum Projects Limited,  
151-A, Basement, Club Road, Sainik Farm,  
Western Avenue, New Delhi-110068.

क्रमांक 48 / एम0बी0

दिनांक

28/05/2025

विषय:-

**NOC for Aravalli Clearance for developing IT Park over an area measuring 14.50625 acres in the revenue estate of Village-Begampur Khatola, Sector-74 Gurgaon-Manesar Urban Complex, Haryana.**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार, कादीपुर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

नायब तहसीलदार, कादीपुर ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 1358/रीडर दिनांक 17.02.2025 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार मौजा बेगमपुर खटौला उप-तहसील कादीपुर जिला गुरुग्राम के मु0/किला नं0 34//2/2-7-9-12/1-14-24-23-3-8-4-17-18-13-2/1-16, 25//17मिन-24, 35//20 मिन के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने उपरांत मांगी गई रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नलिखित है:-

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित मु0/किला नम्बरान दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।
2. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकीयत/चकबन्दी तक कभी भी अराजी जरई की किस्म गैर मुमकिन पहाड़-गैर मुमकिन राडा, गैर मुमकिन बीहड़, बंजड़ बीहड़ या रुद्र नहीं रही है।
3. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व पश्चात अराजी जरई की किस्म भूड/मगदा भूमि है।
4. वर्णित प्रार्थना पत्र में दर्शायी गई अराजी जरई मिसल हकीयत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामिलता देह/पंचायत देह/नगर पालिका/नगरनिगम की मलकियत नहीं रही है।
5. प्रार्थना पत्र में वर्णित अराजी जरई के मु0/किला नम्बरान पर कोर्ट केस बाबत जमाबंदी के खाना कैफियत में कोई इन्द्राज दर्ज नहीं है।
6. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा/मु0 किला नं0 NCZ (National Conservation Zone), SEZ (Special Economical Zone) में नहीं आता है।
7. प्रार्थना पत्र में वर्णित मु0/किला नं0 34//2/2-9-12/1-17-24-23-3-8-14-4-7-18-13-2/1, 25//24-17 मिन पर कोई धारा 4 - 6 व अवार्ड रहन, आड रहन आदि नहीं है और मु0/किला नं0 34//16 मिन रकबा (3-2) पर रपट नं0 359 दिनांक 14.12.2012 से धारा 4 व रपट नं0 379 दिनांक 27.12.2014 से किला नं0 34//16मिन रकबा (3-2) पर धारा 6 हो चुकी है। रपट नं0 257 दिनांक 09.12.2016 से किला नं0 34//16 का अवार्ड हो चुका है और मु0/किना नं0 35//20 मिन रपट नं0 359 दिनांक 14.12.2013 से धारा 4 व रपट नं0 257 दिनांक 09.12.2016 से मु0/किला नं0 35//20 का अवार्ड हो चुका है।
8. प्रार्थना पत्र में वर्णित मु0/किला नं0 34//2/2(2-16)-9(8-0)-12/1(6-3)-17(8-0)-24(8-0) किता 5 रकबा 32 कनाल 19 मरला सालम रकबा के दीपक पुत्र औमप्रकाश पुत्र सन्त सिंह 29/165 भाग राजपाल पुत्र सन्त सिंह पुत्र पोखर 229/825 भाग व श्रीमती उर्मिला देवी विधवा व योगेश चौहान - ललित - अंकित चौहान पुत्रान कुलदीप सिंह पुत्र सन्त सिंह हर चार समभाग 229/825 भाग विनोद पुत्र सन्त सिंह पुत्र पोखर 74/275 भाग मु0/किला नं0 34//3(8-0)-8(8-0) किता 2 रकबा 16 कनाल 0 मरला सालम रकबा की प्रेम सिंह-परमवीर-प्रेमराज-परसराम पुत्रान मोहनलाल पुत्र

मकखनलाल हर चार समभाग व मु०/किला नं० 34//18 रकबा 8 कनाल 0 मरला सालम रकबा का प्रेमसिंह पुत्र मोहनलाल व मु०/किला नं० 34//13 रकबा 8 कनाल 0 मरला सालम रकबा का सुरेश पुत्र मुलचन्द व मु०/किला नं० 25//24(8-0), 34//4(8-0)-7(8-0)-14(8-0), 35//20/1 किता 5 रकबा 32 कनाल 14 मरला सालक रकबा का प्रेमसिंह-परमवीर-प्रेमराज-परसराम पुत्रान मोहनलाल पुत्र मकखन हर चार समभाग व मु०/किला नं० 34//23 रकबा 8 कनाल 0 मरला सालक रकबा का मानसिंह पुत्र धर्मसिंह व मु०/किला नं० 34//16/2 रकबा 4 कनाल 18 मरला सालम रकबा की श्रीमती तेजिन्द्रकोर पत्नी हरप्रीत सिंह 1/2 भाग हरप्रितसिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह 1/2 भाग व मु०/किला नं० 34//2/1 रकबा 5 कनाल 4 मरला सालम रकबा श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी श्री नवदीप शर्मा व मु०/किला नं० 25//17 रकबा 6 कनाल 13 मरला सालम रकबा में प्रेमसिंह-परमवीर-प्रेमराज-परसराम पुत्रान मोहनलाल पुत्र मकखन हर चार समभाग 10/133 भाग श्रीमती मूरती विधवा व धमेन्द्र-जितेन्द्र पुत्रान उदयराम पुत्र बिहारी हर तीन समभाग 123/266 भाग देवेन्द्र पुत्र यादराम पुत्र बिहारी 10/133 भाग श्रीमती लता देवी पत्नी हरिकिशन पुत्र 10/171 भाग दीपक पुत्र जोगेन्द्र पुत्र 25/798 भाग महेश पुत्र राजेश 25/798 भाग सविता देवी पत्नी रामसिंह पुत्र जगुराम 91/342 भाग के नाम से मलकीयत है जो बरूवे जमाबंदी साल 2018-19 की रूह से है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 2415-G दिनांक 06.02.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा ऑनलाईन दिनांक 20.01.2025 को (M/s Galaxy Magnum Projects Private Ltd.,) गांव बेगमपुर खटोला, सैक्टर-74, जिला गुरुग्राम के 14.5061 एकड़ एरिया की फॉरेस्ट क्लेरिफिकेशन निम्नलिखित शर्त अनुसार जारी की गई है:- 1. As the tree felling is involved hence permission of tree felling also be obtained. जिसमें लिखा है कि Applicant Sh. Sanjeev Kumar Singh, M/s Galaxy Magnum Projects Private Ltd., having Rectangle No./Murba No. 34//2/2(2-16), 9(8-0)12/1(6-3), 17(8-0), 24(8-0), 23(8-0), 3(8-0), 8(8-0), 14(8-0), 4(8-0), 7(8-0), 18(8-0), 13(8-0), 2/1(5-4), 16(8-0), 25//24(4-0), 17min(0-10), 35//20min(1-8) Land Measurements 14-5061 (Acre) Land Location Village Begampur Khatola, Sector-74, Gurugram made a proposal to use this land for NOC Setting up of Township. It is made clear that:-

- a) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- b) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- c) If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. **M/s Galaxy Magnum Projects Private Ltd.,** whose land is located at **Village Begampur Khatola, Sector-74, District Gurugram** must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- d) As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- e) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- f) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- g) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.